प्रपत्र सं. 1 का पृष्ठ सं. 1

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 173 बी.एन.एस.एस. 2023)

बुक नं0

1. जिला जयपुर थाना प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र0 नि0ब्यूरो जयपुर वर्ष 2025
   प्र0ई0रि0सं0......150....../2025 दिनांक ..16.06.2025
   (I)धारा 13(1)(ई) सपठित 13(2) पी.सी.एक्ट 1988 एवं धारा 13(1)(बी) सपठित 13(2), 12 पी.सी. एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018)
   (II) अधिनियम..धाराऐं ....
   (III) अधिनियम..धाराऐं..................................
   (IV)अन्य अधिनियम एवं धाराऐं..
2. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या..........859..............समय.......11 A.M
   (ब) अपराध घटने का दिन..........................दिनांक........................समय.......
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक..................................समय.......
3. सूचना की किस्म :– लिखित / मौखिक लिखित
4. घटनास्थल :–
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी करीब
   (ब) पता – ....
   ....बीट संख्या..............................जरायमदेही सं.
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो.........
   पुलिस थाना..जिला..................................
5. परिवादी/सूचनाकर्ता :–सूत्र सूचना
   (अ) नाम –
   (ब) पिता/पति का नाम
   (स) जन्म तिथि/वर्ष..
   (द) राष्ट्रीयता..
   (य) पासपोर्ट संख्या.. जारी होने की तिथि...........
   जारी होने की जगह...
   (र) व्यवसाय...
   (ल) पता –
6. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्ठियों सहित :–
   1. श्री फतेह सिंह मीणा पुत्र श्री लल्लुराम मीणा निवासी सरिस्का पैलेस के पास, भृतहरी तिराया, इण्डोक, थानागाजी, अलवर हाल अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका पावटा–प्रागपुरा
   2. श्रीमती प्रियन्का मीणा पत्नी श्री फतेह सिंह मीणा निवासी सरिस्का पैलेस के पास, भृतहरी तिराया, इण्डोक थानागाजी, अलवर व अन्य।
7. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :– कोई विलम्ब नही
8. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्ठियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)
9. चुराई हुई/ लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य
10. 'पंचनामा/यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो)..
11. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाऐं) :–

महोदय,

विश्वस्त सूत्रों एवं गोपनीय शिकायत से ज्ञात हुआ है कि संदिग्ध अधिकारी श्री फतेह सिंह मीणा पुत्र श्री लल्लुराम मीणा अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका पावटा–प्रागपुरा ने राजकीय सेवा में रहते हुए स्वयं व परिजनों के नाम वैध आय के ज्ञात स्त्रोतों से अधिक परिसम्पत्तियां अर्जित कर रखी है। सुचना का गोपनीय रूप से सत्यापन किया गया तो ज्ञात हुआ कि संदिग्ध अधिकारी स्वायत शासन विभाग राजस्थान में अधिशाषी अधिकारी के पद पर वर्ष 2016 में भर्ती होने के पश्चात वर्तमान में अधिशाषी अधिकारी के पद पर नगरपालिका पावटा–प्रागपुरा में पदस्थापित है तथा संदिग्ध अधिकारी मूल रूप से ग्राम ईन्डोक पोस्ट माधोगढ थानागाजी अलवर का रहने वाला है व वर्तमान में फ्लैट नम्बर ई–503,504 त्रिमूर्ति एरेना, जगतपुरा जयपुर में परिवार सहित निवास कर

रहा है। संदिग्ध अधिकारी का पदस्थापन पूर्व में नगर परिषद जैसलमेर, कोटपूतली, शाहपुरा, सवाईमाधोपुर व अलवर में रहा है।

संदिग्ध अधिकारी व संदिग्ध अधिकारी के परिवारजनों की जानकारी जो सूत्रो ज्ञात हुई है, का विवरण निम्नानुसार है:—

क्र. सं.	नाम	संदिग्ध अधिकारी से रिश्ता	व्यवसाय	पहचान आईडी क्रमांक PAN/ UIDAI	मोबाईल नम्बर
1	श्री फतेह सिंह मीणा	स्वयं	नौकरी	DJIPS4219H 752426553182	9414965848 6367615158
2	श्री लल्लूराम मीणा	पिता	—	216607109397	9829931108
3	श्रीमती कमला देवी	माता	गृहणी	--	--
4	श्रीमती प्रियन्का मीणा जन्म दिनांक 06.03. 1993	पत्नी	—	DHPPM6329P 588695898851	8890846455

सूत्रों से ज्ञात हुआ कि संदिग्ध अधिकारी द्वारा जयपुर में दो लग्जरी फलैट, दीपावास नीमकाथाना सीकर में जमीन खरीद करना ज्ञात हुआ है।

सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि संदिग्ध अधिकारी द्वारा खसरा नम्बर 95, 97, 98, 100, 103 ग्राम गढ बसई, थानागाजी, अलवर किता कुल 5 रकबा 15 बीघा अपने नजदीकी श्री प्रमोद कुमार वर्मा पुत्र श्री बाबुलाल वर्मा जाति धोबी निवासी 4—बी 14, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, कोटपूतली के नाम 26,68,250/रूपये में बेनामी रूप से खरीद करना ज्ञात हुआ है। उक्त 15 बीघा जमीन पर फार्म हाउस डेवलप कर रखा है। सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि संदिग्ध अधिकारी द्वारा उक्त भूमि को खरीद करने के पश्चात समतलीकरण करवाया जाकर, फार्म हाउस में तीन तरफ बाउन्ड्रीवाल का निर्माण कर रखा है, बाउन्ड्री वाल पर कन्टीले तारों की फेसिंग कर रखी है। बाउन्ड्री वाल के अतिरिक्त शेष जगह पर तारबन्दी कर रखी है, फार्म हाउस में लग्जरी भवन निर्माण कार्य कर रखा है, फार्म हाउस में सोलर पम्प लगा है, सीसीटीवी कैमरे भी लगा रखे हैं, इसके अलावा फार्म हाउस में गार्डन डेवलप कर रखा है तथा महंगे पेड पौधे लगा रखे हैं। फार्महाउस में ट्यूबवैल भी स्थापित कर बिजली कनेक्सन लिया हुआ है। संदिग्ध अधिकारी द्वारा फार्म हाउस से मुख्य सडक पर आने हेतु पानी के बरसाती नाले के उपर दोनों ओर दिवार का निर्माण करवाकर सडक बनाई हुई है। इसके अलावा संदिग्ध अधिकारी द्वारा फार्म हाउस में बनाये गये भवन में लग्जरी फर्नीचर, साज सज्जा, ए0सी0, इन्टीरियर में भी लाखों रूपये खर्च किये हैं। यहां यह उल्लेखनीय है कि उक्त फार्म हाउस के बिजली बिल में मोबाईल नम्बर [redacted] पंजीकृत हैं। उक्त मोबाईल नम्बर श्री कैलाश गुर्जर पुत्र श्री सरदारमल उम्र 42 साल निवासी वार्ड नम्बर 3 हनुमान बगीची के पास, अजीतगढ रोड शाहपुरा जयपुर के नाम से पंजीकृत होकर उक्त मोबाईल नम्बर को श्री कैलाश गुर्जर द्वारा उपयोग में लिया जा रहा है। श्री कैलाश गुर्जर के नाम पंजीकृत अन्य मोबाईल नम्बर [redacted] को संदिग्ध अधिकारी श्री फतेह सिंह द्वारा काम में लिया जा रहा है। उक्त फार्म हाउस के भौतिक सत्यापन व सूत्रों से प्राप्त विश्वसनीय सूचना से यह प्रकट हुआ है कि संदिग्ध अधिकारी द्वारा बेनामी रूप से उक्त फार्म हाउस की भूमि को अपने नजदीकी श्री कैलाश चन्द गुर्जर से मिलीभगती कर श्री प्रमोद कुमार वर्मा के नाम खरीद किया गया है, तथा उक्त भूमि पर फार्म हाउस संदिग्ध अधिकारी द्वारा डेवलप किया गया है। सूत्रों से यह भी ज्ञात हुआ है कि संदिग्ध अधिकारी द्वारा श्री प्रमोद कुमार वर्मा व श्री कैलाश चन्द गुर्जर से मिलीभगत कर अन्य करोडों रूपये का निवेश कर रखा है। उक्त तथ्यों के संबंध में साक्ष्य संकलित करने व बहुमुल्य दस्तावेज जब्त करने हेतु श्री प्रमोद कुमार वर्मा व श्री कैलाश चन्द गुर्जर के निवास स्थान व अन्य संबंधित स्थानों की तलाशी लिया जाना उचित रहेगा। उक्त फार्म हाउस की जमीन को खरीद करने, फार्म हाउस डेवलप करने में कम से कम करीब 80,00,000/रूपये व्यय करने का अनुमान है।

सूत्रों से ज्ञात हुआ कि संदिग्ध अधिकारी महंगे लग्जरी वाहन रखने का शौकिन है, संदिग्ध अधिकारी द्वारा नामी/बेनामी रूप से महंगे लग्जरी वाहन खरीद किया जाना ज्ञात हुआ है, जिसके संबंध में दौराने कार्यवाही व दौराने अनुसंधान ज्ञात किया जाना उचित रहेगा।

सूत्रों से ज्ञात हुआ कि संदिग्ध अधिकारी द्वारा थानागाजी, अलवर व अन्य शहरों में विभिन्न परिसम्पत्तियां नामी/बेनामी रूप से खरीद कर रखी हैं तथा उक्त परिसम्पत्तियों को खरीद करने में करोडों रूपये खर्च किये हैं। उक्त परिसम्पत्तियों के दस्तावेज दौराने कार्यवाही संदिग्ध अधिकारी के ठीकानों पर मिलने की सम्भावना है।

सूत्रों से ज्ञात हुआ कि संदिग्ध अधिकारी अपने सेवाकाल में जहां–जहां पदस्थापित रहा वहां पर संदिग्ध अधिकारी पर भ्रष्टाचार करने व अन्य आरोप लगे हैं। जिस संबंध में दौराने कार्यवाही/अनुसंधान संदिग्ध अधिकारी के पदस्थापित रहे कार्यालयों व अन्य संबंधित कार्यालयों से सूचना/रिकॉर्ड संकलित करना उचित रहेगा।

सूत्रों से ज्ञात हुआ कि संदिग्ध अधिकारी की पत्नी के बैंक खातें में हर महिने गीता स्टार होटल एवं रिजोर्ट प्रा. लि. से रूपये आ रहे है, उक्त राशि को संदिग्ध अधिकारी पत्नी द्वारा अपनी आयकर विवरणिका में उक्त कम्पनी की कर्मचारी होने पेटे आय होने की जानकारी दर्शित कर रखी है। उक्त आय संदिग्ध अधिकारी के द्वारा रिश्वत राशि के रूप में प्राप्त कर आय के रूप में दर्शित किये जाने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। संदिग्ध अधिकारी की पत्नी द्वारा उक्त कम्पनी में जॉब करने के संबंध में दस्तावेज यथा उपस्थित पंजिका व अन्य दस्तावेज दौराने कार्यवाही जब्त किया जाना उचित रहेगा।

विभागीय नियमों के अन्तर्गत सरकारी अधिकारी/कर्मचारी अपने निकटतम परिवारजनों यथा पत्नी, माता, पुत्र एवं पुत्री के नाम से कोई परिसम्पति क्रय करता है तो उसकी सूचना संबंधित विभागाध्यक्ष को देनी होती है तथा राज्य के समस्त राजकीय अधिकारियों/कर्मचारियों को अपनी चल अचल सम्पति का विवरण ऑनलाईन राजकाज सॉफ्टवेयर पर अपलॉड करना होता है। संदिग्ध अधिकारी द्वारा स्वयं के नजदीकी व्यक्ति श्री प्रमोद कुमार वर्मा के नाम बेनामी रूप से गढबसई, थानागाजी में फार्महाउस की भूमि क्रय करके स्वयं द्वारा फार्महाउस डेवलप करना ज्ञात हुआ है। उक्त परिसम्पत्ती का विवरण संदिग्ध अधिकारी ने अपनी आईपीआर में दर्शित नहीं कर रखा है। संदिग्ध अधिकारी द्वारा आचरण नियमों के विरूद्ध ऐसा कार्य किया जा रहा है। उक्त कृत्य सदिग्ध अधिकारी के द्वारा भ्रष्टाचार से धन अर्जित करने के तथ्य की पुष्टि करता है।

सूत्रों से ज्ञात हुआ कि संदिग्ध अधिकारी वर्तमान में अमृत पब्लिक स्कूल के पास, डॉ0 अजय दायमा के मकान के पिछे, त्रिवेणी सिटी पावटा में किराये का मकान ले रखा है व पावटा–प्रागपुरा नगरपालिका में पदस्थापित होने के कारण कार्यदिवस में वहीं रहता है।

संदिग्ध अधिकारी की आम छवि भ्रष्ट अधिकारी की होना जानकारी में आया है। संदिग्ध अधिकारी की राजकीय सेवा में नियुक्ति से पूर्व पारिवारिक पृष्ठभूमि सामान्य होना तथा नियुक्ति के पश्चात अचानक रहन सहन का स्तर आय के वैध ज्ञात स्त्रोतो से उच्च स्तर का होना ज्ञात हुआ है।

संदिग्ध अधिकारी श्री फतेह सिंह मीणा द्वारा राजकीय सेवा में आने के बाद स्वयं एवं स्वयं के परिजनो के नाम से अर्जित परिसम्पत्तियों का गोपनीय रूप से विभिन्न राजकीय उपक्रमों/सोसायटी एवं बैंक आदि से जानकारी की जाकर सत्यापन किया गया है।

गोपनीय सत्यापन से संदिग्ध अधिकारी श्री फतेह सिंह मीणा व परिवारजनों के नाम विभिन्न परिसम्पतियॉ मे निवेश/खरीद करना सत्यापन से ज्ञात हुआ है, संदिग्ध अधिकारी द्वारा अर्जित परिसम्पत्तियों, आय एवं व्यय का विवरण निर्धारित प्रपत्र "अ" "ब""स""द" निम्नानुसार है :–

<u>परिशिष्ट "अ"</u>

संदिग्ध अधिकारी श्री फतेह सिंह मीणा पुत्र श्री लल्लुराम मीणा निवासी सरिस्का पैलेस के पास, भृतहरी तिराया,, इण्डोक थानागाजी, अलवर हाल अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका पावटा–प्रागपुरा की चैक पिरियड सेवा में आने से पूर्व अर्जित परिसम्पत्तियां:–

क्र सं.	परिसम्पत्ति का विवरण	परिसम्पत्ति का मूल्य
1	शून्य	शून्य

परिशिष्ट ''ब''

संदिग्ध अधिकारी श्री फतेह सिंह मीणा पुत्र श्री लल्लुराम मीणा निवासी सरिस्का पैलेस के पास, भृतहरी तिराया, इण्डोक थानागाजी, अलवर हाल अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका पावटा–प्रागपुरा की चैक पिरियड सेवा में वर्ष 2016 से खाना तलाशी की दिनांक तक में अर्जित परिसम्पत्तियां:–

क्र सं.	परिसम्पत्ति का विवरण	परिसम्पत्ति का मूल्य
1.	संदिग्ध अधिकारी द्वारा एक फ्लैट नम्बर ई–503 त्रिमूर्ति एरेना, जगतपुरा जयपुर दिनांक 19.11.2020 को स्वयं की पत्नी श्रीमति प्रियन्का मीणा के नाम से 40,84,207/रूपये में खरीद करना व रजिस्ट्रेशन, अन्य शुल्क के रूप में 2,28,753 रूपये खर्च करना ज्ञात हुआ है। उक्त फलैट को खरीद करने के पश्चात इन्टीरियर साज–सज्जा, लग्जरी फर्नीचर पर करीब 20 लाख रूपये व्यय करने का अनुमान है। इस प्रकार उक्त फ्लैट को खरीद करने, इन्टीरियर साज–सज्जा, लग्जरी फर्नीचर में 50,12,960/रूपये व्यय करने का अनुमान है।	63,12,960/रूपये
2.	संदिग्ध अधिकारी द्वारा एक फ्लैट नम्बर ई–504 त्रिमूर्ति एरेना, जगतपुरा जयपुर दिनांक 04.04.2023 को स्वयं की पत्नी श्रीमति प्रियन्का मीणा के नाम से 46,00,000/रूपये में खरीद करना व रजिस्ट्रेशन, अन्य शुल्क के रूप में 2,85,000 रूपये खर्च करना ज्ञात हुआ है। उक्त फलैट को खरीद करने के पश्चात इन्टीरियर साज–सज्जा, लग्जरी फर्नीचर पर करीब 20,00,000/रूपये व्यय करने का अनुमान है। उक्त फलैट पर एचडीएफसी बैंक से 32,96,113/रूपये का होम लोन लेना ज्ञात हुआ है तथा 1,71,529/रूपये अन्य लोन (इन्सयोरेन्स लोन) कुल लोन 34,67,642/रूपये लेना ज्ञात हुआ है। उक्त फ्लैट को खरीद करने, इन्टीरियर साज–सज्जा, लग्जरी फर्नीचर में 67,85,000/रूपये में से लोन राशि 34,67,642/रूपये घटाने पर 33,17,358/रूपये व्यय करने का अनुमान है।	33,17,358/रूपये
3	सूत्रों से ज्ञात हुआ कि संदिग्ध अधिकारी द्वारा त्रिमूर्ति एरेना, जगतपुरा जयपुर दो पार्किंग खरीद करना ज्ञात हुआ है, जिस पर करीब 10,00,000/रूपये व्यय करने का अनुमान है।	10,00,000/रूपये
4	संदिग्ध अधिकारी की पत्नी के नाम ग्राम दीपावास तह0. नीमकाथाना में वर्ष 2024 में खसरा नम्बर 1686, 1713, 1720, 1721, 1786 रकबा 1.05 हैक्टेयर भूमि खरीद करना ज्ञात हुआ है। उक्त भूमि को खरीद करने में 7 लाख रूपये किमत व स्टाम्प, रजिस्ट्री व अन्य शुल्क के रूपये में 43400/रूपये व्यय करने करने का अनुमान है। इस प्रकार उक्त भूमि को खरीद करने में कुल 7,43,400/रूपये व्यय करने का अनुमान है।	7,43,400/रूपये
5.	सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि संदिग्ध अधिकारी द्वारा खसरा नम्बर 95, 97, 98, 100, 103 ग्राम गढ बसई, थानागाजी, अलवर किता कुल 5 रकबा 15 बीघा अपने नजदीकी श्री प्रमोद कुमार वर्मा पुत्र श्री बाबुलाल वर्मा जाति धोबी निवासी 4–बी 14,	80,00,000/रूपये

	हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, कोटपूतली के नाम 26,68,250/रूपये में बेनामी रूप से खरीद करना ज्ञात हुआ है। उक्त 15 बीघा जमीन पर फार्म हाउस डेवलप कर रखा है। सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि संदिग्ध अधिकारी द्वारा उक्त भूमि को खरीद करने के पश्चात समतलीकरण करवाया जाकर, फार्म हाउस में तीन तरफ बाउन्ड्रीवाल का निर्माण कर रखा है, बाउन्ड्री वाल पर कन्टीले तारों की फेसिंग कर रखी है। बाउन्ड्री वाल के अतिरिक्त शेष जगह पर तारबन्दी कर रखी है, फार्म हाउस में लग्जरी भवन निर्माण कार्य कर रखा है, फार्म हाउस में सोलर पम्प लगा है, सीसीटीवी कैमरे भी लगा रखे हैं, इसके अलावा फार्म हाउस में गार्डन डेवलप कर रखा है तथा महंगे पेड पौधे लगा रखे हैं। फार्महाउस में ट्यूबवैल भी स्थापित कर बिजली कनेक्सन लिया हुआ है। संदिग्ध अधिकारी द्वारा फार्म हाउस से मुख्य सडक पर आने हेतु पानी के बरसाती नाले के उपर दोनों ओर दिवार का निर्माण करवाकर सडक बनाई हुई है। इसके अलावा संदिग्ध अधिकारी द्वारा फार्म हाउस में बनाये गये भवन में लग्जरी फर्नीचर, साज सज्जा, ए0सी0, इन्टीरियर में भी लाखों रूपये खर्च किये हैं। यहां यह उल्लेखनीय है कि उक्त फार्म हाउस के बिजली बिल में मोबाईल नम्बर [redacted] पंजीकृत हैं। उक्त मोबाईल नम्बर श्री कैलाश गुर्जर पुत्र श्री सरदारमल उम्र 42 साल निवासी वार्ड नम्बर 3 हनुमान बगीची के पास, अजीतगढ रोड शाहपुरा जयपुर के नाम से पंजीकृत होकर उक्त मोबाईल नम्बर को श्री कैलाश गुर्जर द्वारा उपयोग में लिया जा रहा है। श्री कैलाश गुर्जर के नाम पंजीकृत अन्य मोबाईल नम्बर [redacted] को संदिग्ध अधिकारी श्री फतेह सिंह द्वारा काम में लिया जा रहा है। उक्त फार्म हाउस के भौतिक सत्यापन व सूत्रों से प्राप्त विश्वसनीय सूचना से यह प्रकट हुआ है कि संदिग्ध अधिकारी द्वारा बेनामी रूप से उक्त फार्म हाउस की भूमि को अपने नजदीकी श्री कैलाश चन्द गुर्जर से मिलीभगती कर श्री प्रमोद कुमार वर्मा के नाम खरीद किया गया है, तथा उक्त भूमि पर फार्म हाउस संदिग्ध अधिकारी द्वारा डेवलप किया गया है। सूत्रों से यह भी ज्ञात हुआ है कि संदिग्ध अधिकारी द्वारा श्री प्रमोद कुमार वर्मा व श्री कैलाश चन्द गुर्जर से मिलीभगत कर अन्य करोडों रूपये का निवेश कर रखा है। उक्त तथ्यों के संबंध में साक्ष्य संकलित करने व बहुमुल्य दस्तावेज जब्त करने हेतु श्री प्रमोद कुमार वर्मा व श्री कैलाश चन्द गुर्जर के निवास स्थान व अन्य संबंधित स्थानों की तलाशी लिया जाना उचित रहेगा। उक्त फार्म हाउस की जमीन को खरीद करने, फार्म हाउस डेवलप करने में कम से कम करीब 80,00,000/रूपये व्यय करने का अनुमान है।	
6	संदिग्ध अधिकारी द्वारा अपने गांव में चैक अवधि में पैतृक जमीन पर मकान का निमार्ण/पुर्ननिर्माण करना सूत्रों से ज्ञात हुआ है, जिस पर करीब 10,00,000/रूपये व्यय करने का अनुमान है।	10,00,000/रूपये
7	संदिग्ध अधिकारी द्वारा बेनामी रूप से लक्जरी वाहन खरीद करके स्वयं द्वारा काम में लेना ज्ञात हुआ है, जिस पर करीब 10,00,000/रूपये व्यय करने का अनुमान है।	10,00,000/रूपये
8	संदिग्ध अधिकारी के नाम एसबीआई बैंक में बचत खाता संख्या 51106071188 होना ज्ञात हुआ है। उक्त बैंक खाते में	1,25,392/रूपये

	वर्तमान में 1,25,392/रूपये बैलेन्स होना अनुमानित है।	
9	संदिग्ध अधिकारी की पत्नी के नाम एसबीआई बैंक में बचत खाता संख्या 51106071858 होना ज्ञात हुआ है। उक्त बैंक खाते में वर्तमान में 6,943/रूपये बैलेन्स होना अनुमानित है।	6,943/रूपये
10	संदिग्ध अधिकारी की पत्नी के नाम एसबीआई बैंक में बचत खाता संख्या 61347770765 होना ज्ञात हुआ है। उक्त बैंक खाते में वर्तमान में 7,706/रूपये बैलेन्स होना अनुमानित है।	7,706/रूपये
11	संदिग्ध अधिकारी की पत्नी के नाम आईसीआईसीआई बैंक में बचत खाता संख्या 65201508999 होना ज्ञात हुआ है। उक्त बैंक खाते में वर्तमान में 22,85,469/रूपये बैलेन्स होना अनुमानित है।	22,85,469/रूपये
12	संदिग्ध अधिकारी के नाम एक्सीस बैंक में बचत खाता संख्या 911010014810510 होना ज्ञात हुआ है। उक्त बैंक खाते में वर्तमान में 2,82,673/रूपये बैलेन्स होना अनुमानित है।	2,82,673/रूपये
योग		2,40,81,901/रूपये

परिशिष्ट "स"

संदिग्ध अधिकारी श्री फतेह सिंह मीणा पुत्र श्री लल्लुराम मीणा निवासी सरिस्का पैलेस के पास, भृतहरी तिराया, इण्डोक थानागाजी, अलवर हाल अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका पावटा–प्रागपुरा की चैक पिरियड वर्ष 2016 से खाना तलाशी की दिनांक तक प्राप्त आयः–

क्र सं.	चैक अवधि में अर्जित आय का विवरण	आय
1.	संदिग्ध अधिकारी द्वारा वर्ष 2019–20 की आयकर विवरणिका में आयकर कटौती के पश्चात् 3,02,340/रूपये शुद्व वेतन के रूप में प्राप्त करने का अनुमान है। वर्ष 2016 से वर्ष 2018 तक संदिग्ध अधिकारी द्वारा 7,36,743/रूपये शुद्व वेतन प्राप्त करने का अनुमान है। वर्ष 2020 से खाना तलाशी की दिनांक तक संदिग्ध अधिकारी द्वारा 18,66,665/रूपये शुद्व वेतन प्राप्त करने का अनुमान है। संदिग्ध अधिकारी द्वारा चैक अवधि में 44,80,880/रूपये सकल आय अर्जित करने का अनुमान है तथा 29,05,748/रूपये शुद्व वेतन के रूप में प्राप्त करने का अनुमान है।	29,05,748/रूपये
2	संदिग्ध अधिकारी की पत्नी श्रीमती प्रियन्का मीणा द्वारा वर्ष 2018–19 से 2024–25 तक आयकर विवरणिका में आयकर कटौती के पश्चात 48,33,751/रूपये आय होने का अनुमान है।	48,33,751/रूपये
योग		77,39,499/रूपये

परिशिष्ट "द"

संदिग्ध अधिकारी श्री फतेह सिंह मीणा पुत्र श्री लल्लुराम मीणा निवासी सरिस्का पैलेस के पास, भृतहरी तिराया, इण्डोक थानागाजी, अलवर हाल अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका पावटा–प्रागपुरा की चैक पिरियड वर्ष 2016 से खाना तलाशी की दिनांक तक किया गया व्ययः–

क्र सं.	चैक अवधि में किये गये व्यय का विवरण	व्यय राशि
1	संदिग्ध अधिकारी द्वारा चैक अवधि में अर्जित कुल सकल आय 44,80,880/रूपये का एक तिहाई भाग नियमानुसार 14,93,626/रूपये असत्यापनिक व्यय करने का अनुमान है।	14,93,626/रूपये
2	संदिग्ध अधिकारी की पत्नी द्वारा एचडीएफसी होम लोन बैंक खाता से 44,80,880/रूपये का लोन लेना ज्ञात हुआ है तथा 1,71,529/रूपये अन्य लोन (इन्सयोरेन्स लोन) लेना ज्ञात हुआ है। उक्त लोन खातों में मासिक किश्तों के रूप में 6,00,000/रूपये जमा करवाना अनुमानित है।	6,00,000/रूपये
3	संदिग्ध अधिकारी द्वारा अपने बच्चों को जयपुर के महंगे शिक्षण	10,00,000/रूपये

	संस्थानों में पढाई करवाना ज्ञात हुआ है। जिस पर करीब 10,00,000/रूपये व्यय करने का अनुमान है।	
4	संदिग्ध अधिकारी द्वारा त्रिमूर्ति अरेना जगतपुरा जयपुर में स्थित फलैट्स की सोसाईटी, विधुत, पानी व अन्य शुल्क के रूप में करीब 3,00,000/रूपये व्यय करने का अनुमान है।	3,00,000/रूपये
5	संदिग्ध अधिकारी द्वारा स्वयं, परिजनों के नाम विभिन्न बैंक/प्राईवेट कम्पनियों में म्यूचुअल फण्ड, ईन्सयोरेन्स पालिसी में करीब 10,00,000/रूपये व्यय करने का अनुमान है।	10,00,000/रूपये
6	संदिग्ध अधिकारी द्वारा चैक अवधि में खरीद कर काम में लिये गये वाहनों को उपयोग में लेने में प्रयुक्त ईंधन, बीमा, मेन्टेनेन्स के रूप में लगभग 4,00,000/रूपये व्यय करने का अनुमान है।	4,00,000/रूपये
योग		47,93,626/रूपये

संदिग्ध अधिकारी श्री फतेह सिंह मीणा द्वारा अपनी नियुक्ति वर्ष 2016 से पहले अर्जित परिसम्पतियों का उल्लेख परिशिष्ट "अ" मे दर्शाया गया है, जो शून्य है।

संदिग्ध अधिकारी श्री फतेह सिंह मीणा द्वारा अपनी नियुक्ति वर्ष 2016 से खाना तलाशी की दिनांक तक अर्जित परिसम्पतियों का उल्लेख परिशिष्ट "ब" मे दर्शाया गया है, जिसके अनुसार संदिग्ध अधिकारी द्वारा स्वयं व परिजनों के नाम अर्जित परिसम्पत्तियों का कुल मुल्य 2,40,81,901/रूपये अनुमानित है।

संदिग्ध अधिकारी श्री फतेह सिंह मीणा द्वारा अपनी नियुक्ति वर्ष 2016 से खाना तलाशी की दिनांक तक अर्जित आय का उल्लेख परिशिष्ट "स" मे दर्शाया गया है। प्रपत्र "स" के अनुसार संदिग्ध अधिकारी व उसके परिवारजनों की ज्ञात श्रोतों से कुल वैध आय 77,39,499/रूपये का अनुमान है।

संदिग्ध अधिकारी श्री फतेह सिंह मीणा द्वारा अपनी नियुक्ति वर्ष 2016 से खाना तलाशी की दिनांक तक किये गये व्यय का उल्लेख परिशिष्ट "द" मे दर्शाया गया है, जिसके अनुसार कुल 47,93,626/रूपये व्यय करने का अनुमान है।

इस प्रकार संदिग्ध अधिकारी श्री फतेह सिंह मीणा व उसके परिवार जनों की चैक पिरियड वर्ष 2016 से खाना तलाशी की दिनांक तक के ज्ञात स्त्रोतो से प्राप्त आय 77,39,499/रूपये होकर, अर्जित सम्पति का मूल्य 2,40,81,901/रूपये एवं व्यय राशि 47,93,626/रूपये पाई गई है। अतः सम्पति तथा व्यय राशि का जोड 2,88,75,527/रूपये में से उपरोक्त आय 77,39,499/रूपये को घटाने पर 2,11,36,028/रूपये की परिसम्पतियां वैध आय के ज्ञात स्त्रोत से अधिक अर्जित किया जाना गोपनीय सत्यापन से पाया गया है, जो आय से लगभग 273.09 प्रतिशत अधिक है।

संदिग्ध अधिकारी व संदिग्ध अधिकारी से संबंधित निम्न ठिकानों (1) फ्लैट नम्बर ई–503, 504 त्रिमूर्ति एरेना, जगतपुरा, जयपुर (2) संदिग्ध अधिकारी का भृतहरी तिराया, सरिस्का पैलेस के पास, ग्राम इण्डोक, थानागाजी, अलवर स्थित आवास (3) संदिग्ध अधिकारी का खसरा नम्बर 95, 97, 98, 100, 103 ग्राम गढ बसई, थानागाजी अलवर स्थित फार्म हाउस (4) संदिग्ध अधिकारी के नजदीकी व्यक्ति श्री प्रमोद कुमार वर्मा पुत्र श्री बाबुलाल वर्मा जाति धोबी का निवास स्थान 4–बी 14, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, कोटपूतली (5) संदिग्ध अधिकारी के नजदीकी व्यक्ति श्री कैलाश गुर्जर पुत्र श्री सरदारमल का निवास स्थान वार्ड नम्बर 3, हनुमान बगीची के पास, अजीतगढ रोड, शाहपुरा, जयपुर (6) संदिग्ध अधिकारी का किराये का मकान पता– अमृत पब्लिक स्कूल के पास, डॉ0 अजय दायमा के मकान के पिछे, त्रिवेणी सिटी पावटा (7) संदिग्ध अधिकारी का कार्यालय कक्ष अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका पावटा–प्रागपुरा व अन्य की तलाशी लेना आवश्यक है। तलाशी के दौरान कई मूल्यवान परिसम्पत्तियों के दस्तावेज, नकदी, एफ.डी.आर, बैंक लॉकर्स, एन.एस.सी स्वर्ण आभूषण, बेनामी परिसम्पत्तियों के दस्तावेज एवं अन्य मूल्यवान परिसम्पत्तियां मिलने की सम्भावना है।

अतः संदिग्ध अधिकारी 1. श्री फतेह सिंह मीणा पुत्र श्री लल्लुराम मीणा निवासी सरिस्का पैलेस के पास, भृतहरी तिराया, इण्डोक, थानागाजी, अलवर हाल अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका पावटा–प्रागपुरा 2. श्रीमती प्रियन्का मीणा पत्नी श्री फतेह सिंह मीणा निवासी सरिस्का पैलेस के पास, भृतहरी तिराया, इण्डोक थानागाजी, अलवर व अन्य के विरूद्ध वैध आय के ज्ञात स्त्रोतों से अधिक परिसम्पत्तियां अर्जित करने एवं अर्जित करने में सहयोग करने के तथ्य प्रथम दृष्टया प्रमाणित हैं। आरोपीगणों का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 13(1)(ई) सपठित 13(2) पी.सी.एक्ट 1988 एवं धारा 13(1)(बी) सपठित 13(2), 12 पी.सी.एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018) का घटित होना पाया जाता है। अतः बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांकन हेतु प्रेषित है।

(मूलचन्द)
पुलिस निरीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
इन्टे0 जयपुर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री मूलचन्द पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो इन्टे0 जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 13(1)(ई) सपठित 13(2) पी.सी.एक्ट 1988 एवं धारा 13(1)(बी) सपठित 13(2), 12 पी.सी.एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018) में वर्णित अपराध घटित होना पाया जाने से अभियुक्त 1. श्री फतेह सिंह मीणा पुत्र श्री लल्लुराम मीणा निवासी सरिस्का पैलेस के पास, भृतहरी तिराया, इण्डोक, थानागाजी, अलवर हाल अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका पावटा–प्रागपुरा 2. श्रीमती प्रियन्का मीणा पत्नी श्री फतेह सिंह मीणा निवासी सरिस्का पैलेस के पास, भृतहरी तिराया, इण्डोक थानागाजी, अलवर व अन्य के विरूद्ध अपराध संख्या 150/2025 दिनांक 16.06.2025 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर श्रीमान महानिदेशक महोदय के निर्देशानुसार अनुसंधान श्री ज्ञान सिंह चौधरी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सवाईमाधोपुर के सुपूर्द किया गया। प्रतियां एफ.आई.आर. नियमानुसार कता कर जारी की गई।

(डॉ0 प्यारेलाल शिवरान)
पुलिस अधीक्षक–प्रशासन
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
राज0 जयपुर

क्रमांक :– 871-875 दिनांक :– 16-06-2025

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. माननीय विशिष्ट न्यायाधीश एवं सेशन न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम मामलात, कम संख्या–1 जयपुर
2. श्रीमान प्रमुख शासन सचिव, स्वायत शासन विभाग, राज0 जयपुर
3. श्रीमान निदेशक, स्वायत शासन विभाग, राज0 जयपुर
4. श्रीमान उपमहानिरीक्षक पुलिस–तृतीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर
5. श्री ज्ञान सिंह चौधरी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सवाईमाधोपुर

(डॉ0 प्यारेलाल शिवरान)
पुलिस अधीक्षक–प्रशासन
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
राज0 जयपुर